

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण

प्रलिस के लयः

उप-वर्गीकरण, राष्ट्ररीय अनुसूचतल जातल आयोग, राष्ट्ररीय पछलडल वरग आयोग (NCBC), अनुसूचतल जनजातल

मेन्स के लयः

जातलल कल उप-वर्गीकरण, सुभेदु वरगु कल रकषल एवं बेहतरी के लयल गठतल तंत्र, वधल, संस्थान एवं नकलय

[स्रोतः द हदु](#)

चरुल में कुरुुं?

भारत के प्रधलनमंतुरी ने अनुसूचतल जातल (SC) के अंतरगत आने वलले सबसे पछलडे समुदलरु कल पहचलन तथल उनकल सहायतल करने कल प्रतबलधतल वुक्त कल है, इसने [अनुसूचतल जातल \(SC\)](#) के भीतर [उप-वर्गीकरण](#) के मुदुदे कु चरुल में लल दलल है ।

- इस नरुणु के परणलमसरुप उप-वर्गीकरण कल वैधतल, चुनूतलरु तथल संभलवतल प्रभलव पर चरुल शुरु हु गई है ।

जातलल के भीतर उप-वर्गीकरण कुल है?

■ परचुलः

- जातलल के भीतर उप-वर्गीकरण आरकषण तथल सकरलतमक कररुवलई के लयल [अनुसूचतल जातल \(SC\)](#), [अनुसूचतल जनजातल \(ST\)](#) और [अनु पछलडल वरग \(OBC\)](#) कल मूजूदल शुरेणलरु के भीतर उप-समूह बनाने कल प्रकुरलल कु संदरभतल करतल है ।
- उप-वर्गीकरण कल उदुदेशु अंतर-शुरेणी असमलनतलरु कल समलधलन करनल तथल समलज के सबसे वंचतल एवं हलशलल पर रहने वलले वरगु के बीच ललभ व अवसरु कल अधकल नुलयसंगत वतरण सुनशुचतल करनल है ।

■ उप-वर्गीकरण कल वैधतलः

○ ऐतलहलसकल प्ररुलसः

- सरुवूच नुलयललय तक पहुँचे इस मलमले में कलनूनी चुनूतलरु कल सलमनल कर रहे पंजलब, बहलर तथल तमललनलडु जैसे रलजुने ने उप-वर्गीकरण कल प्ररुलस कलल है ।

○ संवैधलनकल दुवलधलः

- भारत के [सरुवूच नुलयललय](#) ने ई.वी. चनलनैलल बनलम आंधर प्रुदेश रलजु और अनु, 2004 के मलमले में कल कलकेवल संसद के पलस SC तथल अनुसूचतल जनजातलरु (ST) कल सूचल बनाने एवं अधसूचतल करने कल अधकलर है ।
- हललूक पंजलब रलजु और अनु बनलम दवदलर सहल एवं अनु, 2020 के एक अनु मलमले में पँच-नुलयलधलशु कल पीठ ने फूसलल सुनलल कल रलजु पहले से ही अधसूचतल SC/ST कल सूचलरु में "छेडुछलडु" कल बनल ललभ कल मलतुरल पर नरुणु ले सकते है ।

○ वरुष 2004 और 2020 के फूसलु के बीच वरलधलभलस के करण वरुष 2020 के फूसले कु बडी बेंच कु भेजल गलल है ।

- संवधलन के [अनुचुद 16\(4\)](#) में यह अधकलर दलल गलल है कल रलजु अनुसूचतल जातल और अनुसूचतल जनजातल के लयल पदुननतल के मलमलु में आरकषण के लयल कुई प्रलवधलन कर सकतल है, यदुवे रलजु के तहत सेवलरु में प्ररुलपत रुप से प्रतनलधतलव नही करते है ।

जातलल के भीतर उप-वर्गीकरण कल आवशुयकतल कुरुुं है?

- वुवसलय, शकषल, आय, सलमलजकल सुथतल और कषेतुरीय ववलधतल जैसे कररुकु के आधलर पर SC, ST और OBC शुरेणलरु के भीतर एक महतुवपूरण भनलनतल और ववलधतल है ।

○ SC, ST और OBC शुरेणलरु के भीतर कु छ प्रमुख एवं प्रभलवशलली उप-समूहु के अनुपलतहीन तथल वषलम प्रतनलधतलव के प्रमलण है,

जनिहोंने कमज़ोर तथा अधकि पछिडे उप-समूहों को पीछे छोडते हुए आरक्षण के लाभ के बडे हसिसे पर कब्ज़ा कर लिया है ।

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों, जैसे कि **तेलंगाना में मडगिा**, बिहार में पासवान और उत्तर प्रदेश में जाटव द्वारा नषिपक्ष तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चिती करने के लिये उप-वर्गीकरण एवं अलग कोटे की मांग की जा रही है ।

जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं?

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर **वशि्वसनीय तथा अद्यतन डेटा की कमी है**, जो उप-वर्गीकरण के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक आधार को बाधति करता है ।
- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर प्रमुख एवं प्रभावशाली उप-समूहों से **कानूनी तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया** की संभावना है, जो उप-वर्गीकरण व आरक्षण लाभ के अपने हसिसे में कमी का वरिोध कर सकते हैं ।
- SC, ST व OBC श्रेणियों के भीतर और अधकि वखिंडन तथा वभिजन का खतरा है, जो उनकी सामूहिक पहचान एवं एकजुटता को कमज़ोर कर सकता है, साथ ही उनके राजनीतिक, सामाजिक सशक्तीकरण को कमज़ोर कर सकता है ।

आगे की राह

- **SC, ST और OBC के भीतर उप-समूहों की जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक व्यवस्थित एवं अद्यतन डेटा संग्रह प्रक्रिया सुनिश्चिती करना ।**
 - साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिये एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु संपूर्ण जातजिनगणना आयोजति करना ।
- **सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्यों के साथ जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संतुलति करने एवं यह सुनिश्चिती करने की आवश्यकता है कि उप-वर्गीकरण समानता तथा गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता हो ।**
- सामाजिक न्याय और लाभों के समान वतिरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ज़ोर देते हुए उप-वर्गीकरण के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने हेतु संचार रणनीतियाँ विकसित करना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियाँ पर वचिर कीजयि: (2023)

1. राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय वधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता वविद नविरण आयोग

उपर्युक्त में से कतिने सांवधानिक नकियाय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)